

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक:- 23/5/2013

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी-1088

### कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 133वीं बैठक दिनांक 20.05.2013 को। प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	133.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 132वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा क्रमशः परिशिष्ट 'अ' पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 132वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 को सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं क्रियान्विति समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	133.2	भूखण्ड संख्या 1, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर के प्रस्तावित फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अपडरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>उपायुक्त जोन द्वारा पूर्व में 611.84 वर्ग मीटर का स्थल मानचित्र जारी किया गया था जिसको संशोधित कर 640.91 वर्ग मीटर का पुनः संशोधित स्थल मानचित्र जारी किया गया परन्तु मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 579.36 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। आवेदक द्वारा मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के अनुसार भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है। अतः मौके पर उपलब्ध भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार समस्त तकनीकी गणनाएँ की जावें।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
3.	133.3	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या आर-10/ए एवं आर-10/बी, सेक्टर-02, विद्याधर नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से</li> </ol>

			<p>जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रश्नगत भूखण्ड में 30' X 10' वर्ग फीट क्षेत्रफल में टीनशेड से ढके हुए अस्थाई कमरे निर्मित है जिसको निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हटाये जाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4.	133.4	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 154, 155 व 156, मल्होत्रा नगर, वी.के.आई. एरिया, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	133.5	<p>खसरा नम्बर 247, 248, 249 पार्ट 25/46, ग्राम-सुदर्शनपुरा, टाँक रोड़, लाल कोठी में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर बिना अनुमति निर्मित तृतीय बेसमेन्ट की शास्ति में संशोधित भवन विनियम 2012 के विनियम 9.7 (vi) प्रावधानानुसार इस शर्त के साथ शिथिलता दी जाती है कि आवेदक द्वारा तृतीय बेसमेन्ट का उपयोग केवल पार्किंग प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा। अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन से पूर्व पार्किंग प्रावधान सुनिश्चित किये जाने आवश्यक होंगे अन्यथा जविप्रा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
6.	133.6	<p>भूखण्ड संख्या 1ए, 2ए व 29ए, कुमावत बाड़ी, खातीपुरा, जयपुर के प्रस्तावित</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>

		आवासीय भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. संशोधित मानचित्र के संदर्भ में नियमानुसार जॉच शुल्क लिया जावे।</li> <li>3. बिना अनुमति निर्माणाधीन बैसमेन्ट हेतु नियमानुसार बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7.	133.7	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 131 से 133, योजना ऑफिसर्स कैम्पस, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. मौके पर भूखण्ड में पृष्ठ सेटबैक में कुछ अस्थाई पुराने कमरे निर्मित है, जिसको निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हटायें जाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
8.	133.8	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 46 से 48, विद्युत नगर-बी, अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः</li> </ol>

			<p>अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. भूखण्ड में अस्थाई टीनशेड से ढका हुआ कमरा 59' X 15' वर्ग फीट क्षेत्रफल एवं भूखण्ड के पृष्ठ दिशा में भूतल + प्रथम तल में कमरे 15' X 50' वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित है, जिसको निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व हटाये जाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	133.9	<p>खसरा संख्या 433/431, ग्राम-रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील-सांगानेर, जयपुर में आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित मानचित्र के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. मानक एफ.ए.आर. से अधिक प्रस्तावित 2.25 एफ.ए.आर. तक आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत अथवा 100/- प्रति वर्ग फीट जो भी ज्यादा हो, की दर से एवं 2.25 से अतिरिक्त एफ.ए.आर के लिए आवासीय आरक्षित दर के 35 प्रतिशत अथवा उसी अनुपात में प्रति वर्ग फीट की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	133.10	<p>खसरा संख्या 163, ग्राम- रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील-सांगानेर, जयपुर के</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>

		प्रस्तावित फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11.	133.11	खसरा संख्या 264/131, 265/132, ग्राम-रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टिल्ट फ्लोर/ बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित मानचित्र के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>कुल निर्मित क्षेत्र 20,000 व.मी. से अधिक प्रस्तावित है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</li> <li>ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र अर्थात् 633.92 व.मी. निर्मित क्षेत्र अपेक्षित है जिसके लिए स्टिल्ट तल पर 6 फ्लेट 350.72 व.मी. में प्रस्तावित है। शेष 283.20 व.मी. निर्मित क्षेत्र के लिए भूखण्ड संख्या 551 रोहिनी नगर -। में आवासीय आरक्षित दर के अनुपात में दोगुने से अधिक 569.13 व.</li> </ol>

			<p>मी. निर्मित क्षेत्र में EWS/LIG प्लेट प्रस्तावित किए गए हैं। अतः निर्णय लिया गया कि 'स्टिल्ट तल पर प्रस्तावित फ्लैट्स के फलस्वरूप इसे भूतल माना जाकर अधिकतम 9 तल (26.10 मीटर ऊँचाई) स्वीकृत किये जावें।</p> <p>5. मानक एफ.ए.आर. 1.33 के अलावा 0.5 प्रोत्साहन एफ.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी हेतु तथा सड़क चौड़ी हेतु समर्पित भूपट्टी क्षेत्र 359.08 व.मी. को सम्मिलित करने हुए निशुल्क प्रस्तावित है तथा शेष एफ.ए.आर. के लिए विनियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावें एवं कुल एफ.ए.आर. अधिकतम अनुज्ञेय एफ.ए.आर. की सीमा में रखा जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
12.	133.12	<p>भूखण्ड संख्या ए-12, शिव ऑफिसर्स कॉलोनी (ब्लॉक-ए), विस्तार पार्ट द्वितीय, ग्राम-श्रीगोविन्दपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
13.	133.13	<p>पुर्नगठित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-1 से सी-5 व सीपी-01, योजना रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव विस्तार, ग्राम-जीरोता, तहसील-सांगानेर, जयपुर के पुर्नगठन/उपविभाजन किये जाने बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का पुर्नगठन उपरान्त क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक 2957.73 वर्ग मीटर है। अतः पुर्नगठन हेतु नियमानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।</li> <li>2. भूखण्डों के पुर्नगठन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही भूखण्डों का उपविभाजन किया जावें तथा पुर्नगठन एवं उपविभाजन दोनों ही शुल्क नियमानुसार लिया जावें।</li> <li>3. भवन विनियमानुसार पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक 12. मी. 9.0 मी. 9.0 मी. व 9.0 मी. लागू होते हैं तथा दो</li> </ol>

			<p>भूखण्डों में उपविभाजन प्रस्तावित होने पर भवन विनियम की तालिका '4' के अनुसार सेटबैक 9.0 मी., 4.50 मी., 4.50 मी. व, 4.50 मी. लागू होंगे जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>4. मौके पर पश्चिम की ओर सड़क की चौड़ाई अपेक्षित 60 फीट के स्थान पर 40 फीट उपलब्ध है। अतः आवेदक द्वारा अतिक्रमित 20 फीट चौड़ाई में सड़क मार्गाधिकार की भूमि का कब्जा नियमानुसार जोन द्वारा प्राप्त किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
14.	133.14	<p>खसरा नम्बर 175, 178, 179 व 180, ग्राम-चक गैटोर, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</li> <li>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</li> <li>4. प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु अपेक्षित 1495.89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल (प्रस्तावित एफ.ए.आर. का 5 प्रतिशत) की तुलना में 1544.35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है, जो कि प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5.16 प्रतिशत के बराबर है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</li> <li>5. प्रश्नगत भूखण्ड में 30' X 12' वर्ग फीट क्षेत्रफल में चौकीदार कमरा निर्मित है, जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हटाये जाने के सम्बन्ध में आवेदक से</li> </ol>

			अण्डरटेकिंग ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।
15.	133.15	भूखण्ड संख्या सी-151, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भवन विनियमानुसार भूखण्ड के सेटबैक 9.0 मी., 4.5 मी., 4.5 मी. लागू होते हैं परन्तु भूखण्ड महल योजना का होने के कारण योजना में स्वीकृत सेटबैक 7.5 मी., 3.415 मी., 3.415 मी., 3.0 मी. प्रस्तावित किये हैं, तदनुसार 1.20 एफ.ए.आर. एवं 12 मीटर ऊँचाई प्रस्तावित की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।
16.	133.16	खसरा नम्बर 2145/3, ग्राम-मुहाना, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट व खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।
17.	133.17	खसरा संख्या 19 से 25, 98 से 101, 104 से 108 एवं 117, ग्राम-मदरामपुरा के ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2010 (संशोधित 2012) के विनियम

		अनुमोदन बाबत।	9.7 (vi) के अनुसार पार्किंग प्रयोजनार्थ निर्मित बेसमेन्ट पर बिना अनुमति निर्माण शास्ति नहीं ली जावें।
18.	133.18	खसरा नम्बर 231/1, ग्राम-बम्बोरी, कालवाड़ रोड़, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि आवेदक द्वारा इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 30334.19 वर्ग मीटर के अन्तर्गत 52 प्रतिशत क्षेत्रफल 15773.78 वर्ग मीटर में EWS के 10 ब्लॉक में 160 फ्लैट, LIG के 6 ब्लॉक में 96 फ्लैट व MIG के 2 ब्लॉक में 32 फ्लैट 12.60 मीटर ऊँचाई (जी+ 3) के प्रस्तावित किये है जिनकी ग्लोबल एफ.ए. आर. 0.32 प्राप्त होती है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>
19.	133.19	खसरा संख्या 25, 27, 29, 28 व 58, ग्राम-कचैरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील-आमेर, जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मौके पर भूखण्ड में 15' X 10' वर्ग फीट क्षेत्रफल में टीनशेड से ढके हुए 2 अस्थाई लेबर क्वार्टर्स निर्मित है जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हटाये जाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p>

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 133वीं बैठक दिनांक 20.05.2013 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।                    | अध्यक्ष    |
| 2. श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।                 | सदस्य      |
| 3. श्री जे.बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर।               | सदस्य      |
| 4. श्री अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।       | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

6. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।



अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-1088

दिनांक:- 23/5/2013

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/ (प्रशासन)/ (एलपीसी)/ (भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।



अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)